



कार्यालय टिप्पणी

क. एमसीएफ/आरबीएल/एम/250

दिनांक: 09.04.2018

विषय: शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति फार्म को राजभाषा में उपयोग करने के संबंध में।


संदर्भ: रेलवे बोर्ड का पत्र क. ई(डब्ल्यू2017/ईडी-2/3 दिनांक 12.10.2017, आरबीई नं. 147/2017)

ऐसा पाया गया कि शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन अंग्रेजी में भरे जा रहे हैं। श्री अवधेश कुमार यादव, निजी सचिव-II द्वारा इस शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति के फार्म को राजभाषा में अनुवाद कर संलग्न फार्मेट में तैयार किया गया है जिसकी प्रति इस नोट के साथ संलग्न है।

आशा की जाती है कि इसे आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना के सभी विभागों द्वारा शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन को राजभाषा में जारी इस फार्मेट का उपयोग किया जायेगा, जिससे राजभाषा के प्रचार-प्रसार में उन्नति अपेक्षित होगी।

आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक उपयोग हेतु प्रेषित है।

संलग्न: यथोक्त।


(एच.के. रघु)

मुख्य राजभाषा अधिकारी

सभी विभागाध्यक्ष
राजभाषा अधिकारी


15/04

APJ/B&M for upload in website

प्रति: मुख्य यांत्रिक इंजीनियर/सू.प्रौ., एमसीएफ, रायबरेली: कृपया सूचनार्थ एवं एमसीएफ की वेबसाइट पर शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति के फार्म को अपलोड कराने की व्यवस्था करें।

सचिव/महाप्रबंधक/आ.रे.डि.का., रायबरेली: महाप्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ।



आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली

शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन

शैक्षणिक सत्र: 2017-18

प्रतिपूर्ति अवधि: 2017-18

संदर्भ: रेलवे बोर्ड का पत्र क्र. E(W2017/ED-2/3 Dated 12.10.2017, RBE No. 147/2017))

01.	कर्मचारी का नाम:				
02.	कर्मचारी संख्या एवं पदनाम				
03.	शॉप/टिकट नं., पे बिल यूनिट नं.				
04.	परिवार का विवरण				
क.	नाम	जन्म तारीख	उम्र	संबंध	टिप्पणी
01.					
02.					
03.					
04.					
05.	बच्चे का विवरण	प्रथम बच्चा		दूसरा बच्चा	
	विद्यार्थी का नाम				
	जन्म तारीख एवं कक्षा				
	स्कूल का नाम और पता				
	दावा राशि				
	दावा की प्रकृति (उपयुक्त पर टिक लगायें)	शैक्षणिक भत्ता/हॉस्टल सब्सिडी/दिव्यांग बच्चा	शैक्षणिक भत्ता/हॉस्टल सब्सिडी/दिव्यांग बच्चा		
06.	स्कूल से प्राप्त वास्तविक प्रमाण पत्र के संलग्नक का विवरण।				
07.	हॉस्टल सब्सिडी: क्या खर्च की राशि का उल्लेख स्कूल से प्राप्त वास्तविक प्रमाण पत्र में है (संलग्न करें)।				



प्रमाणित किया जाता है कि:-

- उपर्युक्त मेरे बच्चे/बच्चों के बारे में जिनके लिए शिक्षा व्यय की प्रतिपूर्ति की मांग की गयी है, वे पूरी तरह मुझ पर निर्भर हैं।
- मेरी पत्नी/पति कोई एक केंद्रीय सरकार के कर्मचारी नहीं हैं।
- मेरी पत्नी/पति केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं और दोनों में से कोई एक ही प्रतिपूर्ति का दावा करेगा/करेगी।
- हमारे बच्चे/बच्चों का ही प्रतिपूर्ति शिक्षा व्यय की मांग की गयी है।
- मेरे बच्चे/बच्चों का जिन पर प्रतिपूर्ति का दावा किया जाता है, वह/वे मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहे हैं।
- (i) मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे बच्चा/बच्चों का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस संबंध में शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया गया है।
- (ii) मैं इसके माध्यम से यह घोषणा करता/करती हूँ कि शिक्षा के खर्चों की प्रतिपूर्ति केवल मेरे सबसे बड़े दो जीवित बच्चों के लिये ही की गयी है।

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरे जानकारी में बिल्कुल सत्य है। यदि ऊपर दी गयी कोई भी सूचना गलत या असत्य पायी जाती है तो मैं डीएण्डएआर के अंतर्गत दंड के प्रति उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

अग्रेषित अधिकारी का हस्ताक्षर
दिनांक एवं कार्यालय स्टैम्प सहित

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम:

कर्मचारी सं.:

